

:: प्रारूप-11 ::

NOTE FOR JUSTIFICATION

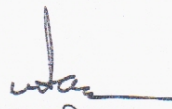
परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मैखुली-देवराड़ी-कफलेख - कठूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 10.000 कि०मी०

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 6836/III (2)/105-03 (मु०म०घ०)1/11 दिनांक 25.03.2011 द्वारा लम्बाई 10.000 कि०मी० लागत रु० 126.00 लाख की प्राप्त हुई है। (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न है)। यह मार्ग मैखुली-देवराड़ी-कफलेख-चौण्डा के कि०मी० 6.000 से आरम्भ होकर ग्राम कि०मी० 10.000 में दैड़ा को जोड़ेगा। इस मार्ग के निर्माण से 1. कफलेख, 2. सुन्दरगँव 3. चौण्डा, 4. जैती 5. तोल्यू व दैड़ा ग्राम लाभान्वित होंगे। उक्त ग्रामों की आबादी क्रमशः 131, 259, 218, 97, 88 व 206 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 999 जनसंख्या लाभान्वित होगी जो कि अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाये पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती है, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर व पाल्यों को अधिक समय दे पायेंगे, जिससे की पाल्यों का लालन पालन तथा पठन पठान ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो जायेगी। गांव मे चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नये अवसर मिलेंगे। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

इस मार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त 02 समरेखणों पर विचार किया गया है। नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये समरेखण का अधिकांश भाग नाप भूमि से गुजरता है, जिस हेतु ग्रामवासियों द्वारा सहमति दी गई है। इस समरेखण मे टैरेन कास स्लोब 25° से 60° तक है तथा तकनीकी दृष्टि से यह समरेखण उपयुक्त पाया गया है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली भूमियों में आरक्षित वन भूमि 0.666, सिविल वन भूमि 1.926 है० वन पंचायत भूमि 0.486 है० इस प्रकार कुल वन भूमि 3.078 है० है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं नाप भूमि 5.922 है० प्रयुक्त की जानी है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है। नक्शे मे बैंगनी रंग से दर्शाया गया समरेखण वैकल्पिक निरस्त समरेखण है। जो कि तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है। क्योंकि इस समरेखण मे हेयर पिन बैण्ड की संख्या 03 है तथा इस पर अधिक व्यय होगा। एवं मार्ग की लम्बाई भी अधिक होगी। उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० 02 को निरस्त कर समरेखण नं० 01 को अनुमोदित किया गया है।

वनभूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)